फार्म संख्या 111

फर्द अहकाम

नियम 20

जर्ये अदालतः– जिला कलक्टर, बारां

सरकार

बनाम

राजू गूर्जर वगैरह

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन राज0 गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवृजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995)

नम्बर 3/2023 सन्............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.23	प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र बाबत् सुपुर्दगी वाहन ट्रक नं. आर.जे.29 जी.ए.4681 राज. गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवृजन या निर्यात का विनियमनम) (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत पेश किया। ए.पी.पी. के माध्यम से केस डायरी थाना कोतवाली बारां से तलब की गयी। प्रकरण दर्ज हो। केस डायरी प्राप्त होने पर अभिभाषक प्रार्थी एवं सहायक लोक अभि0 की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अधिनियम के तहत थाना कोतवाली बारां द्वारा प्रार्थी का वाहन **आर.जे. 29 जी.ए. 4681** जप्त कर लिया गया है। जो थाना कोतवाली बारां में खडा है। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली बारां द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गयी है, अब वास्ते तफ्तीश प्रार्थी के उक्त वाहन की थाना कोतवाली बारां को कोई आवश्यकता नहीं है। जब्तशुदा वाहन का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक व स्वामी है जो उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु सक्षम व्यक्ति है। यदि ज्यादा समय तक उक्त वाहन पुलिस थाना कोतवाली बारां में खडा रहा तो उसकी में खराबी हो जाने की पूर्ण संभावना है इसलिए उक्त वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। बाद सुपुर्दगी जब भी माननीय न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेगें तब प्रार्थी समय समय पर न्यायालय श्रीमान में पेश कर देगा तथा समस्त शर्तो का प्रार्थी पूर्णत पालना करेगा। अतः प्रार्थी की सुपुर्दगी में उक्त वाहन को दिये जाने का आदेश फरमावें। ए.पी.पी ने दौराने बहस तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी कोतवाली बारां का अवलोकन करवाते हुए कथना किया कि "अब तक की सम्पूर्ण तकमील तफतीश से मुलजिम 1. राजू गुर्जर पुत्र सूरजकरण गुर्जर निवासी हरनोदा थाना डिग्गी जिला टोंक व 2. हंसराज पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी देशमा थाना मालपुरा जिला टोंक के खिलाफ धारा 5,6,8,9 व 10 राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर मुलजिमान राजू गुर्जर व हंसराज जाट को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपीगण न्यायालय के आदेश [illegible] पर हैं। प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन के संबंध में अनुसंधान [illegible] शेष नहीं है।" हमने बहस उभयपक्ष [illegible] किया। सम्पूर्ण पत्रावली व केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी कोतवाली बारां का अवलोकन किया। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी राजू गुर्जर निवासी हरनोदा डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोंक वाहन संख्या **आर.जे. 29 जी.ए. 4681** का जर्ये मुख्त्यार खास रजि0 स्वामी है तथा प्रकरण में तफ्तीश हो चुकी है। वाहन थाने पर खडा है।	

Signature Not Verified
Digitally Signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिसके खराब होने का अंदेशा है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जप्तशुदा वाहन ट्रक को सुपुर्दगी में 20 लाख के जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना करते हुए दिया जाता है।

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युवल करवायेगा।
3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नही करेगा।
4. जब भी न्यायालय तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा।
5. वाहन का सामने से व बगल से रंगीन फोटो खिंचवाकर पेश करेगा।

पत्रावली आदेश की पालना में दिनांक 13.01.2023 को पेश हो।

13/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। आदेश की पालना हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली बाद में दि० 17/1/23 को पेश हो।

16/1/23 पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ आदेश दि० 10/1/23 की पालना में सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा व वाहन के फोटो मय सीडी के पेश करने पर तलब की गई। प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रादि के साथ जमानती का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः वकील प्रार्थी जमानत की निर्धारित बीस लाख का हैसियत प्रमाण पत्र पेश करें। पत्रावली पूर्ववत दि० 17/1/23 को पेश हो।

17/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पूर्ववत दि० 24/1/23 को पेश हो।

24/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने आदेशानुसार प्रा.पत्र के साथ सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा व वाहन के फोटो मय सी.डी. पेश किये। एक जमानती की ओर से तस्दीकशुदा जमानत व दूसरे जमानती की ओर से जमानत [illegible] तस्दीकशुदा पेश किये। सुपुर्दगीनामा व दोनों जमानतनामा [illegible] प्रा.पत्र [illegible] दि० 10/1/23 [illegible] स्वीकार किया [illegible] को [illegible] कोतवाली बारां ट्रक नं. RJ28GA4... वाहन [illegible] सुपुर्द कर [illegible] पेश करें। प्रार्थी वापस [illegible] पत्रावली [illegible] से कम हो [illegible]

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner